न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 508/2021

अनवान : –

1. कालुराम पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भीमराज पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. फुसाराम पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री रतीराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. प्रमेश्वरी उर्फ चुसा पुत्री रतीराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. राकेशकुमार पुत्र सावत्री जाति जाट साकिन ऐटा तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक खुंईया तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी** 26/05/2025

श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 629/612 की कुल 7.2460 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 बहिब 1/6, 1/6 हिस्सा भूमि केएवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 489/480 के ख0न0 189 की 0.4300 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 बहिब 1/6, 1/6 हिस्सा भूमि के व रोही मौजा कानसर के खाता स0 364/356 की कुल 5.9680 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 बहिब 1/24, 1/24 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 4/5 की कुल 12.7470 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 5 बहिब 1/48, 1/48 हिस्सा भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि को वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक हक व हिस्सा के मुश्तरका ही काश्त व रकम राज करते आ रहे है। रतीराम पुत्र भादरराम व उसकी पत्नी शान्ति पत्नी रतीराम दोनो फौत हो चुके है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 व इन्द्रा, सावत्री पुत्रीया रतिराम कुल 7 वारिस हुए जिसमें सावत्री पुत्री रतीराम का देहान्त हो चुका है जिसकी वारिस प्रतिवादी स0 5 है। रतीराम पुत्र भादर व शान्ती पत्नी रतीराम के फौत होने पर विवादित भूमि विरासतन दर्ज होने के बाद वादी की बहिन इन्द्रा ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह जरिये दस्तबरदारी दिनांक 15.04.2021 द्वारा प्रतिवादी स0 1 के हक में दर्ज कर दिया इसलिए विवादित भूमि में उसका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है दस्तबरदारी कोई हस्तांतरण दस्तावेज नही है दस्तबरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है व न ही किसी विशेष हकदार को कोई काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हक हासिल होते है। दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकाश्तकार का उस खाता व खाता की भूमि में से हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार बहिब के मुश्तरका हकदार व काश्तकार होते है। दस्तबदारी दिनांक 15.04.2021 द्वारा इन्द्रा पुत्री रतीराम का हक व हिस्सा समाप्त हो गया एवं वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 5 के पक्ष में उसका समायोजित होना था लेकिन प्रतिवादी स0 1 ने अकेले के नाम दर्ज करवा ली। दस्तबरदारी दिनांक 15.04.2021 शुन्य व प्रभावहीन है। प्रतिवादी स0 1 ने इन्द्रा से दस्तबरदारी करवाकर अपने हिस्से से अधिक भूमि दर्ज करवा ली है। इसलिए उक्त वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घेाषित किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा राजीनामा इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 364 की कुल 5.9680 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता स0 4 की कुल 12.7470 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व खाता स0 489 की कुल 0.4300 हैक्ट भूमि व खाता स0 629 की कुल 7.2460 हैक्ट भूमि उक्त चारों खातो की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घेाषित किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 364 की कुल 5.9680 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता स0 4 की कुल 12.7470 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व खाता स0 489 की कुल 0.4300 हैक्ट भूमि व खाता स0 629 की कुल 7.2460 हैक्ट भूमि उक्त चारों खातो की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घेाषित किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के ... नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 17:51:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 364 की कुल 5.9680 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता स0 4 की कुल 12.7470 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व खाता स0 489 की कुल 0.4300 हैक्ट भूमि व खाता स0 629 की कुल 7.2460 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 364 की कुल 5.9680 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता स0 4 की कुल 12.7470 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व खाता स0 489 की कुल 0.4300 हैक्ट भूमि व खाता स0 629 की कुल 7.2460 हैक्ट भूमि उक्त चारों खातो की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 364 की कुल 5.9680 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता स0 4 की कुल 12.7470 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व खाता स0 489 की कुल 0.4300 हैक्ट भूमि व खाता स0 629 की कुल 7.2460 हैक्ट भूमि उक्त चारों खातो की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 17:51:45 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 508 / 2021
अनवान : –

1. कालुराम पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भीमराज पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. फुसाराम पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री रतीराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. प्रमेश्वरी उर्फ चुसा पुत्री रतीराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. राकेशकुमार पुत्र सावत्री जाति जाट साकिन ऐटा तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक खुंईया तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 508 सन 2021 निर्णय दिनांक 26/05/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 364 की कुल 5.9680 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि व खाता स0 4 की कुल 12.7470 हैक्ट भूमि में से 1 / 8 हिस्सा भूमि व खाता स0 489 की कुल 0.4300 हैक्ट भूमि व खाता स0 629 की कुल 7.2460 हैक्ट भूमि उक्त चारों खातो की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घेाषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested